झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

पत्रांक– 07 / म०स० / रा०यो०–वि०पु०वि०–227 / 2023– 1324/70 (स्वी०)

प्रेषक,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 12.09.2023

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना [स्कीम कोड– राज्यांश (2060)] के क्रियान्वयन हेतु रु०–1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र राज्यांश राशि के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

किशोरियों एवं महिलाओं को सुदृढ़ पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराकर एवं इनमें एतद् संबंधी अच्छी आदतें प्रबुद्ध करने सहित महिलाओं से संबंधित उत्कृष्ट सामाजिक रिवाज प्रवृत्त करने ताकि किशोरियों एवं महिलाओं के लिए एक सशक्त एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण कर उनका कल्याण एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जा सके, के उद्येश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अम्ब्रेला योजना के रूप में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की परिकल्पना की गई है। योजना का कार्यान्वयन वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है।

2. इसके तहत् विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना एक अवयव के रूप में सन्निहित है। इन प्रयासों से :–

क) विधवाओं के आत्मबल में वृद्धि से उन्हें प्रगति की राह में अग्रसर बनाया जा सकेगा।

ख) विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में अच्छे रीतियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा एवं एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था विकसीत हो सकेगी। इससे एक समावेशी एवं समरस समाज की परिकल्पना साकार करने के राज्य सरकार के प्रयास सृदृढ़ होंगे।

ग) विधवा पुनर्विवाह से विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्यय भार को कम किया जा सकेगा।

3. उपर्युक्त तथ्यों एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड के अधिसूचनांक–301, दिनांक–11.03.2015 तथा अधिसूचनांक–1477, दिनांक–28.08.2015 के तहत् प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत् सम्यक् विचारोपरांत राज्य योजनान्तर्गत संचालित राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना निम्नवत् कार्यान्वित की जायेगी :–

i. विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर रू०–2,00,000 / – (दो लाख) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। इससे इनका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ii. लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि उनके पुनर्विवाह उपरांत उनके बचत खाते (लाभार्थी के नाम से एकल खाता) में ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

iii. लाभार्थी हेतु पात्रता निम्नवत् होगी :–

a) लाभार्थी झारखण्ड राज्य के निवासी हो ;

b) लाभार्थी की आयु विवाह योग्य हो (आयु गणना विवाह की तिथि अधारित होगी);

c) सेवा प्राप्ति हेतु लाभार्थी के पति (पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रुप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत नहीं होना अथवा इन नियोजनकर्त्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होना अथवा आयकर दाता नहीं होना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में लाभार्थी द्वारा स्व–घोषण पत्र समर्पित किया जायेगा।

d) लाभार्थी के दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो ;

e) पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो ;

f) लाभार्थी का UIDAI–आधार उपलब्ध हो ;

g) पुनर्विवाह की तिथि से 01 (एक) वर्ष के अन्दर आवेदन समर्पित किया गया हो ;

iv. लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

आवेदक संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में विहित्त प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करनी आवश्यक होंगी :–

a) झारखण्ड राज्य के निवासी संबंधी वैध प्रमाण–पत्र यथा–निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि।

b) आयु प्रमाण संबंधी वैध प्रमाण पत्र (जिसमें दिवस, माह एवं वर्ष का स्पष्ट अंकण हो)

c) पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह–निबंधन प्रमाण–पत्र।

d) दहेज नहीं देने संबंधी घोषणा–पत्र (मूल प्रति में)।

e) आधार–कार्ड ।

f) दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र।

g) लाभार्थी का बचत बैंक खाता (लाभार्थी के नाम से एकल खाता) की प्रति।

h) कंडिका– 3.(iii).(c) के आलोक में स्व–घोषणा पत्र (मूल प्रति में)।

i) कंडिका– 3.(iii).(g) के आलोक में स्व–घोषणा पत्र (मूल प्रति में)।

v. लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने संबंधी कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

बाल विकास परियोजना कार्यालय में सभी वांछित अभिलेखों सहित प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभुकों के भौतिक सत्यापनोपरान्त योग्य पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सभी प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षोपरान्त स्वीकृति प्रदान किये जाने पर कोषागार से राशि की निकासी कर लाभुक के बचत खाते में राशि ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से Transfer की जायेगी।

4. योजनान्तर्गत उपर्युक्त कार्यक्रम पर चालू वि०व०–2023–24 में रू०–100.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

5. योजना कार्यान्वयन पर आगत व्यय का वहन हेतु राशि राज्य मद के निम्न शीर्ष :–

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना – बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–BA–महिला एवं किशोरी कल्याण योजना ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना – बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–103–महिला कल्याण, उप शीर्ष–BA– महिला एवं किशोरी कल्याण योजना ;

– के उपयुक्त शीर्षों/इकाईयों अधीन विकलनीय होगी।

6. एतद् संबंधी प्रावधान स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

7. योजना कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्थिक सहायता इकाई अधीन राज्य मद में निम्नवत् बजटीय उपबंध प्राप्त है :–

लघु शीर्ष	राशि (रु0 में)
TSP	रु० 52,00,000.00 (बावन लाख रुपये मात्र)
OSP	रु० 48,00,000.00 (अड़तालीस लाख रुपये मात्र)
योग	**रु० 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये मात्र)**

8. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक सहायता इकाई अधीन राज्य मद में निम्नवत् राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

लघु शीर्ष	राशि (रु0 में)
TSP	रु० 52,00,000.00 (बावन लाख रुपये मात्र)
OSP	रु० 48,00,000.00 (अड़तालीस लाख रुपये मात्र)
योग	**रु० 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये मात्र)**

9. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय उपर्युक्त कंडिका–5 के प्रावधानों के तहत् वि०व०–2023–24 में योजना कार्यान्वयन हेतु राज्य मद के निम्नवत् शीर्षों/इकाईयों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी :–

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना – बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–BA–महिला एवं किशोरी कल्याण योजना, उपयोजना शीर्ष–01–महिला एवं किशोरी कल्याण योजना, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, इकाई–49–आर्थिक सहायता,

(विपत्र कोड–60S223502796BA010649) ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना – बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–103–महिला कल्याण, उप शीर्ष–BA– महिला एवं किशोरी कल्याण योजना, उपयोजना शीर्ष–01–महिला एवं किशोरी कल्याण योजना, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, इकाई–49–आर्थिक सहायता, (विपत्र कोड–60S223502103BA010649) ;

10. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभाग स्तर पर विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय स्तर पर समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

तथा जिलों में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी होंगे तथापि जिन जिलों में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नहीं होंगे, वहाँ उपायुक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी होंगे। सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

11. इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०–**2561** दिनांक–**17.04.1998** तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत राज्यादेशों/दिशा–निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्र सं० – **903** दिनांक **02.03.2002** के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि यदि वे यह देखें कि नई ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–07/म०स०/रा०यो०–वि०पु०वि०–227/2023–1324/ म०(स्वी०) राँची, दिनांक : 12.09.2023

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, राँची/निःशक्तता आयुक्त, राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड, राँची/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड राज्य महिला आयोग, राँची/संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव